

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

दी / प्रार्थी

राजस्थान

प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

बनाम श्री. राजेश चंद

करण : राजस्व वाद पत्र ११, १११

मुकदमा नं. १२ / २०२२

दिनांक

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुये।

१.२.२२

यह वाद अधीन धारा ११, १११ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री श्री. राजेश चंद ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ३१.१.२२ को पेश हो।

ASU  
असिस्टेंट कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

पक्षकार/पक्षकारान क आवेक्ता

३१/३/२२

पोठामीन अफिलारी जो निटिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक १२/३/२२ को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान क आवेक्ता

१२/५/२२

पोठामीन अफिलारी जो निटिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक १८/५/२२ को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान क आवेक्ता

१०.४.२२ पोठामीन अफिलारी जो निटिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक १४.४.२२ को प्रस्तुत करें।

14/7/2022

वकील वादी अनुपस्थित। आवान  
लगाई गई। बाद आवान एवं  
उपस्थिति इन्तजार उपरान्त भी वकील  
वादी हाजिर नहीं आये हैं तथा ना  
ही वादीगण स्वयं हाजिर आये है।  
अतः बाद वादीगण अदम हाजरो  
एवं अदम पैरवी में श्वरिज किया  
जाता है। मिसल मियथि तम्पर सै का  
होकर बाद आप्त कार्यवाही दारखिल  
दफ्तर रहे।

*Handwritten signature/initials*

अदालत के न्यायाधीश/अधीक्षक

अदालत के न्यायाधीश/अधीक्षक  
अदालत के न्यायाधीश/अधीक्षक

अदालत के न्यायाधीश/अधीक्षक

अदालत के न्यायाधीश/अधीक्षक  
अदालत के न्यायाधीश/अधीक्षक